

**Form 1**

**Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)
(See Rule 4)**

Continous Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 12 Khata Type सिकमी

| खाता नम्बर | रियत का नाम,पिता का नाम एवम जाति | प्लोट संख्या | चौहद्दी | ए | डे | हे | लगान | कैफियत / अभ्युक्ति | भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या |
|------------|--|--------------|---------|------------|--------------------|--------------|------|--|---------------------------|
| 14 | अमला मंडल , पति-मोती मंडल, जाति- सुडी | 1193 | | 0 ऐ | 0 डि | 0 हे | 10 | | 1 / 14 |
| 14 | श्रीमती अमला मंडल , पति-स्व मोती लाल मंडल , जाति- -- | 1193 | | 0 ऐ | 50 डि | 0 हे | 54 | दाखिल खारिज केस नं 2282(II)2006-07 | 3 / 29 |
| 14 | BHOLANATH MANDAL , पिता-LATE MOTILAL MANDAL, जाति- सुडी एवं PUSHPA DEVI , पति-LATE GOLAK MANDAL, जाति- सुडी एवं PRAFUL MANDAL , पिता-LATE MOTILAL MANDAL, जाति- सुडी | 1193 | | 0 ऐ | 22 डि | 1.74 हे | 5 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 440/2020 - 2021 | 15 / 1 |
| 14 | श्री संतोष कुमार महतो , पिता-स्व0 गिरधारी महतो, जाति- कुरमी महतो | 1193 1193 | | 0 ऐ 0 ऐ | 3.55 डि 3.55 डि | 0 हे 0 हे | 4 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 2998/2020 - 2021 | 15 / 90 |
| 14 | श्रीमती सुगान्ती कुमारी , पति-श्री परमात्मा साह, जाति- गोंड | 1193 | | 0 ऐ | 3.56 डि | 0 हे | 5 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 2956/2020 - 2021 | 15 / 91 |
| 14 | SHWETA KUMARI , पति-OM PRAKASH KUMAR PASWAN, जाति- दुसाध | 1193 | | 0 ऐ | 3.2 डि | 0 हे | 5 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 1949/2021 - 2022 | 17 / 58 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|-----|---------|------|---|--|---------|
| 14 | श्रीमती सीमा कुमारी , पिता-श्री प्रवीन कुमार पासवान , जाति- दुसाध | 1193 | | 0 ऐ | 3.56 डि | 0 हे | 5 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 3895/2021 - 2022 | 18 / 16 |
| 14 | श्रीमती रूपा कुमारी , पति-श्री दीपक कुमार चौधरी, जाति- ---- | 1193 | | 0 ऐ | 4.95 डि | 0 हे | 5 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 4282/2021 - 2022 | 18 / 20 |

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

8/25/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।